अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के ब्रोशर का विमोचन

उदयपुर में इतिहास विभाग,पेसिफिक सामाजिक विज्ञान एवं मानवीकी महाविद्यालय, पेसिफिक विश्वविद्यालय, द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी के ब्रोशर का विमोचन किया गया।

उदयपुर, (कासं)। इतिहास विभाग,पेसिफिक सामाजिक विज्ञान एवं मानवीकी महाविद्यालय, पेसिफिक विश्वविद्यालय, द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी के ब्रोशर का विमोचन प्रो. बी. पी. शर्मा (ग्रुप प्रेसिडेंट, पेसिफिक विवि), प्रो हेमंत कोठरी (कुलगुरु पाहेर विवि) डॉ टी. पी.अमेटा (निदेशक, फैकल्टी चेयरमैन सामाजिक विज्ञानं एवं मानवीकी महाविद्यालय) डॉ अजात शत्रु सिंह शिवरती (इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञानं एवं मानवीकी महाविद्यालय, पाहेर, संस्थापक महासचिव ग्लोबल हिस्ट्री फोरम) एवं डॉ मनोज दाधीच, इतिहास विभाग, फैकल्टी सामाजिक विज्ञान एवं मानवीकी महाविद्यालय, पाहेर) द्वारा किया गया।

आयोजन सचिव डॉ अजात शत्रु सिंह शिवरती ने बताया की अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी 22-23 अगस्त को आयोजित होगी संगोष्ठी का विषय :- प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा : विज्ञान और ज्ञान के विविध आधुनिक अयामो पर केंद्रित रहेगी ।

शिविरों में प्रकरणों का शत-प्रतिशत ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करें : कलैक्टर

डूंगरपुर, (निसं)। जिला कलक्टर देशलदान ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी) के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित बैठक में 12 जून से संचालित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ओबीसी आयोग सर्वे, लंबित विधानसभा प्रश्न, मुख्यमंत्री जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों, मानसून पूर्व तैयारियों तथा हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। डीओआईटी वीसी कक्ष में आयोजित बैठक में सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने ब्लॉकवार ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग से संबंधित नाम शुद्धिकरण, आपसी सहमति से बंटवारा, सीमाज्ञान, रास्ता प्रकरण, नामांतरण सहित विभिन्न मामलों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिविर में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त सभी ऑफलाइन प्रकरणों का शत-प्रतिशत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पूर्व समीक्षा कर प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाए। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रेगर ने कहा कि आपसी सहमति से बंटवारे के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर काश्तकारों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने आबादी विस्तार के अंतर्गत जारी पट्टों, उनके पंजीयन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत पट्टा वितरण सहित विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त सभी ऑफलाइन प्रकरणों का समयबद्ध रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जले हुए ट्रांसफॉर्मरों के प्रतिस्थापन, ढीले विद्युत तारों की मरम्मत तथा पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना एवं कृत्रिम उपकरण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं जल संसाधन विभाग से पेयजल एवं हैंडपंपों की स्थिति, परिवहन विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों एवं विशेष योग्यजनों को पास वितरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) कार्ड वितरण, पोषण किट वितरण तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हैंडपंप मरम्मत एवं पेयजल समस्याओं के समाधान की समीक्षा की गई। इसके अलावा नगर परिषद, नगरपालिका सागवाडा, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागों में ऑफलाइन प्राप्त प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीकरण शेष है, उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। जिन शिविरों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, वहां फॉलो-अप शिविर आयोजित कर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्वच्छता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें तथा शिकायतों का शीघ्र एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करें, ताकि शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने वर्ष 2024 के सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों का सत्यापन कर जियो टैगिंग के माध्यम से फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रेणीवार पात्रता सूची तैयार कर नियमानुसार जांच के बाद पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए। मानसून को देखते हुए जिला कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों के जर्जर भवनों की पहचान कर उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो।

परिवार परिचय ग्रंथ का विमोचन आज

कानोड़, (निसं)। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज तडबारा मेवाड संस्थान, चित्तोड़गढ़ (राज.) के तत्वावधान में आज कानोड स्थित नानेश सभागार, नई बावडी में प्रथम भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 , भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। महामंत्री उदय लाल श्रीमाली ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9:15 बजे होगा।

Tel.& Fax 0294 2418976, 2417835 (O), Em: deanrcaudr@yahoo.com

राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
RAJASTHAN COLLEGE OF AGRICULTURE
MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY
GURU GOVIND SINGH MARG, UDAIPUR 313 001

Dr. M.K. Mahla
Dean and Faculty Chairman

No.RCA/Acctts/2026/12295
Dated: 17.07.2026

NIT No.: RCA/NIT/2026-27 /NIB-22

Sealed offline bids are invited up to 27.07.2026 **of 01.00 PM** in respect of the following tenders/bids: (i) Bid No.RCA/NIT/2026-2027/NIB-22 UBN NO. ATU2627SSOB00126 **"Day-to-day agriculture work at Hi-tech unit of RCA College from July, 26 to June, 27"** Details may be seen in the Bidding Document at our office or on our websites www.mpuat.ac.in or the website of State Public Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in may be obtained or downloaded on payment of Rs. 500/- in demand draft/online.

DEAN, RCA

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/नामा./2026/4805 दिनांक : 17.7.2026

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री धर्मचन्द सिंघवी पिता श्री नाथुलाल सिंघवी	भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-2328 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड़, नाथद्वारा	आ.न. 2930/1042 व1041	30 फिट रोड	आ.न.1090 व3368/1042 आवासीय भूखण्ड	आ.न.1093 व3368/1041 आवासीय भूखण्ड
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-2400 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड़, नाथद्वारा	आ.न. 2930/1042	30 फिट रोड	आ.न.1089 व3368/1042 आवासीय भूखण्ड	आ.न.1091 व 3368/1042 आवासीय भूखण्ड
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-2400 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड़, नाथद्वारा	आ.न. 2930/1042	30 फिट रोड	आ.न.1089 व3368/1042 आवासीय भूखण्ड	आ.न.1089 व3368/1042 आवासीय भूखण्ड
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-1800 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड़, नाथद्वारा	आ.न. 2930/1042	30 फिट रोड	आ.न.1089 स्वयं का आवासीय भूखण्ड तथा3368/1042	आ.न.1089 स्वयंका आवासीय भूखण्ड तथा3368/1042
		भूखण्ड संख्या-1 आ.न. क्षैत्रफल-2100 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड़, नाथद्वारा	30 फिट 2930/1042	आ.न.1058 रोड	58	आ.न.1058 तथा3368/1042 आवासीय भूखण्ड
2.	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री धर्मचन्द सिंघवी	भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-1350 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने	30 फिट रोड	आ.न. 1090, 1091	30 फिट रोड	सार्वजनिक पार्क आ.न.1092
		भूखण्ड संख्या-1 क्षेत्रफल-414 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड़, नाथद्वारा	30 फिट रोड	आ.न. 1092	आवासीय भूखण्ड	30 फिट रोड
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-1660 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड़, नाथद्वारा	आ.न.1089 व स्वयं का आवासीय भूखण्ड	आ.न. 1088	आ.न. 1058	30 फिट रोड
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-1282.50 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड, नाथद्वारा	आ.न.1090, 1091 स्वयं का आवासीय भूखण्ड	आ.न. 1088	30 फिट रोड	सा.पार्क. आ.न.1092
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-1200 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड, नाथद्वारा	30 फिट रोड	आ.न. 1089 व स्वयं आवासीय भूखण्ड	आ.न.1089 व स्वयं का आवासीय भूखण्ड	30 फिट रोड
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-1350 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड, नाथद्वारा	आ.न.1090, 1091, स्वयं आवासीय भूखण्ड	30 फिट रोड	30 फिट रोड	सा.पार्क आ.न.1092
		भूखण्ड संख्या-1 क्षैत्रफल-1380 वर्गफिट, पुलिस थाने के सामने सिंहाड, नाथद्वारा	30 फिट रोड	1090, 1091, स्वयं का आवासीय भूखण्ड	30 फिट रोड	सा.पार्क आ.न.1092

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

विद्यार्थियों ने मॉडल व चार्ट से समझाया पोषण का महत्व

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के साई तिरुपति यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग में विद्यार्थियों के लिए न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संतुलित आहार के महत्व और विभिन्न रोगों में उचित पोषण की भूमिका के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. प्रशांत नाहर, रजिस्ट्रार देवेंद्र जैन, डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. कनुप्रिया तिवारी तथा कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग के प्राचार्य विजय सिंह रावत मौजूद रहे।अतिथियों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में पोषण संबंधी जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस तरह के कार्यक्रम समय की आवश्यकता हैं।

कार्यक्रम के दौरान बी.एससी. नर्सिंग द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने विभिन्न बीमारियों में मरीजों को दिए जाने वाले आहार और उसके महत्व को मॉडल, चार्ट एवं प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, मोटापा, किडनी तथा हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में संतुलित एवं उपयुक्त आहार की आवश्यकता और उसके लाभों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में न्यूट्रिशन इंचार्ज किरण रेगर की विशेष भूमिका रही। अंत में सभी प्रतिभागियों, विद्यार्थियों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।

साई तिरुपति विवि में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस प्रोग्राम में विद्यार्थियों ने मॉडल और चार्ट से पोषण का महत्व समझाया

नशा मुक्ति को लेकर बैठक

फतहनगर, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशानुसार कस्बो में सीएल जी बैठक आयोजित कर हाने वाली चौरीयों एवं नशाखोरो पर अंकुश लगाने को लेकर बैठक आयोजि करने की पालना में पुलिस थान फतहनगर द्वारा नगरपालिका सभागार में मावली वृत पुलिस उप अधीक्षक चांदमल सिंगारीया की अध्यक्षता में स्थानीय पुलिस और जनता के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सीएजी बैठक आयोजित की गई।बैठ के दौरान पुलिस उप अधिक्षक सिंगारीया एवं थानाधिकारी मदन लाल का पगडी एवं उपरना पहना कर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान में साइबर ठगी,नशामुक्ति और यातायात सुरक्षा एवं नगर में हाने वाली चौरीयों पर अंकुश लगाने पर चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक सिंगारीया ने साइबर ठगी,नशाखोरी और यातायात सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील कर जन सहयोग से नगर के प्रमुख स्थानो पर सीसी केमरे लगाने पर चर्चा की गई। गौर तलब रहे की केमरे के बारे में गत पांच वर्षो से चर्चा चल रही हैं

के. के. गुप्ता ने अभियंताओं व ठेकेदारों की बैठक ली

डूंगरपुर, (निसं)। प्रदेश के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर एवं नगर परिषद के पूर्व सभापति के.के. गुप्ता ने शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में अधिकारियों, अभियंताओं और ठेकेदारों की डेढ़ घंटे तक चली मैराथन बैठक में डूंगरपुर को देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से भी आगे ले जाने का विजन रखा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि राजस्थान के शहर केवल साफ-सुथरे ही नहीं, बल्कि हरियाली, जल संरक्षण, आधुनिक कचरा प्रबंधन और जनभागीदारी के मामले में भी देश के लिए उदाहरण बनें। इसी उद्देश्य को लेकर नगर परिषद में व्यापक समीक्षा की गई तथा आगामी कायर्योजना तैयार की गई। बैठक में गुप्ता ने कहा कि अब केवल सफाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, संसाधनों के पुनः उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सहभागिता को एक साथ जोड़ना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डूंगरपुर को ऐसा मॉडल शहर बनाया जाए, जहां स्वच्छता प्रत्येक नागरिक का व्यवहार बने और नगर परिषद केवल निगरानी की भूमिका निभाए।

बैठक में नगर परिषद के आयुक्त ललित सिंह देथा, सहायक अभियंता भकतेश पाटीदार सहित समस्त अधिकारी और ठेकेदार मौजूद रहे। बैठक के अंत में आयुक्त देथा ने कहा कि स्वच्छ डूंगरपुर को अग्रणी बनाने के लिए दिए गए सभी निर्देशों की पालना की जाएगी। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर को लेकर जारी दिशा-निर्देश रहे। के.के. गुप्ता ने कहा कि बड़े होटल, मैरिज गार्डन, अस्पताल, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थान, कॉलोनियां और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने परिसर में ही गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, कम्पोस्टिंग और वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर परिषद ऐसे सभी संस्थानों की सूची तैयार कर नियमित निरीक्षण करे।

धोखे से नकदी हड़पी

उदयपुर,(कासं)। शहर के भुपालपुरा थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ निवेश के नाम पर पीडित से नकदी हडपने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित उमाशंकर नागदा पुत्र वरदीचंद निवासी नाकोड़ा नगर रूपसागर सुखेर ने रमेश पुत्र नारायण महादेव पटेल तथा पंकज जैने के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर 11 संभवनाथ काम्प्लेक्स में स्थित आर्टीमस कंस्ट्रक्शन कंपनी कार्यालय में आरोपी से संपर्क हुआ। जहां उन्होनें कंपनी में निवेश करने पर अच्छा लाभ मिलने की बात कही। जिसकों लेकर सहमती बनने पर दिसंबर 2024 में आरोपियों को निवेश के लिए 6 लाख 65 हजार रूपये का भुगतान किया।

स्वास्थ्य सेवा के साथ सामाजिक सरोकार निभा रहा है गीतांजलि हॉस्पिटल

उदयपुर, (कासं)। सामाजिक सरोकार एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए गीतांजलि हॉस्पिटल ने 'पेराहन लाइफस्टाइल एग्ज़ीबिशन-2026' में मुख्य सहयोगी के रूप में सहभागिता निभाई। शोभागपुरा स्थित अशोका ग्रीन में आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मेवाड़ पूर्व राजघराने की सदस्य महाराणी सा निवृत्ति कुमारी मेवाड़ के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

कार्यक्रम में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजना वर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में किया। उन्होंने महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, समय पर उपचार लेने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आ ान किया। साथ ही एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लाभ बताते हुए कहा कि गीतांजलि हॉस्पिटल केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष गीतांजलि हॉस्पिटल के मुख्य सहयोग से प्रदर्शनी को बेहतर एवं व्यवस्थित स्वरूप मिला है। उन्होंने संस्थान के सामाजिक सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सहयोग से महिला उद्यमता को भी नई ऊर्जा मिलती है।

प्रदर्शनी में अहमदाबाद, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और आगरा सहित विभिन्न शहरों के प्रदर्शकों ने डिज़ाइनर परिधान, सिल्वर ज्वेलरी, होम डेकोर, हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं लाइफस्टाइल उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में शहरवासियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर खरीदारी की। आयोजकों के अनुसार 1000 से अधिक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार तथा 5000 एवं 10000 की खरीदारी पर विशेष गिफ्ट और लकी ड्रॉ की व्यवस्था की गई है। शनिवार को दोपहर 2 बजे आयोजित मेगा तंबोला प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण रहा।इस अवसर पर गीतांजलि हॉस्पिटल के हेड मार्केटिंग कल्पेश चंद रजबार, डॉ. मधुबाला चौहान, डॉ. नलिनी शर्मा, डॉ. अर्चना शर्मा, डॉ. दिव्या चौधरी, डॉ. अनुपमा हाड़ा, डॉ. भामिनी जाखेटिया, डॉ. नीलम तोशनीवाल, डॉ. राजकुमार गुर्जर, डॉ. ऋषिका सैनी, स्वीटी छाबड़ा सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं महिला उद्यमी उपस्थित रहे।

तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मेवाड़ पूर्व राजघराने की सदस्य महाराणी सा निवृत्ति कुमारी मेवाड़ के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

पीपल के वृक्ष का वैज्ञानिक ट्रांसप्लांट

कपासन, (निसं)। नगर पालिका कपासन द्वारा शहर में सड़क चौड़ाईकरण (रोड वाइडनिंग) कार्य एवं यातायात को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति उद्यान के समीप, पशु चिकित्सालय मार्ग के कॉर्नर पर स्थित पीपल के वृक्ष का वैज्ञानिक विधि से ट्रांसप्लांट (स्थानांतरण) किया।

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/नामा./2026/4362 दिनांक : 11.7.2026

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री गणेश तुकाराम निकम पिता श्री तुकाराम निकम	भूखण्ड संख्या-13 क्षैत्रफल- 1350 वर्गफिट, सामान्य चिकित्सालय के पास पानेरियों की मादड़ी, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-04 व05	30 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-14	भूखण्ड संख्या-12
2.	श्री रमेश सदाशिव चव्हाण पिता श्री सदाशिव चव्हाण	भूखण्ड संख्या-12 क्षैत्रफल-1350 वर्गफिट, सामान्य चिकित्सालय के पास पानेरियों की मादडी, नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-05 व06	30 फिट रोड	भूखण्ड संख्या-13	भूखण्ड संख्या-11
3.	श्रीमती राजकुवंर पत्नि श्री टमर सिंह	भूखण्ड संख्या-01 क्षैत्रफल-1440.75 वर्गफिट, श्रीजी रेजीडेन्सी गौरव पथ, नाथद्वारा	फूटपाथ व पार्क	80 फिट रोड	अन्य भूमि	30 फिट रोड

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगरपालिका वल्लभनगर
जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांकः-न.प.व./निर्माण/2026-27/92 दिनांकः-26.6.26

-:: अल्पकालिन खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या-1/2026-27 ::-

नगरपालिका वल्लभनगर द्वारा राशि रू. 2.50 लाख के 1 कार्य हेतु इच्छुक संवेदकों/फर्म से निविदा आमंत्रित कि जाती है। निविदा तिथि 21.7.2026 एवं अंतिम तिथि 21.7.2026 दोपहर 1:00 बजे तक रहेगी। एव निविदा खुलने की तिथि 21.7.2026 दोपहर 3:00 बजे रहेगी। निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण ईन्टरनेट साईटsppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कि जा सकती है।

UBN No- DLB2627GSOB10544

प्रशासक नगरपालिका वल्लभनगर — अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका वल्लभनगर

डूंगरपुर में चांदीपुरा वायरस से 6 वर्षीय बच्ची की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। डूंगरपुर जिले में चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध संक्रमण से छह वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। बच्ची का इलाज गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

गुजरात सरकार से सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने इसे चांदीपुरा वायरस संक्रमण मानते हुए धंबोला थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में व्यापक एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बच्ची की 15 जुलाई को मौत से पहले सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अस्पताल ने गुजरात सरकार को दी। गुजरात से सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीमों ने शनिवार को रतनपुरा गांव में विशेष निगरानी, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और संक्रमण रोकथाम अभियान शुरू किया। टीमों ने घर-घर जाकर कुल 353 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की। राहत की बात यह रही कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति में चांदीपुरा वायरस से संबंधित लक्षण नहीं पाए गए। इसके बावजूद विभाग ने किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी और सतर्कता बढा दी है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

नीचे दिए गए बॉरोअर्स और को-बॉरोअर्स ने IDFC FIRST बैंक लिमिटेड (पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, IDFC बैंक लिमिटेड के साथ मिला हुआ और अभी IDFC FIRST बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से नीचे दिए गए सिक्योर्ड लोन लिए हैं। नीचे दिए गए बॉरोअर्स और को-बॉरोअर्स के लोन उनकी अपनी-अपनी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज से सिक्योर्ड हैं। क्योंकि वे अपने-अपने लोन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने में फेल रहे हैं और इरेगुलर हो गए थे, इसलिए उनके लोन को RBI की गाइडलाइंस के अनुसार NPA के तौर पर क्लासिफाई किया गया था। IDFC FIRST बैंक लिमिटेड (पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, IDFC बैंक लिमिटेड के साथ मिला हुआ और अभी IDFC FIRST बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को उनके द्वारा दिए जाने वाले अमाउंट, नीचे दिए गए टेबल में खास तौर पर जारी किए गए नोटिस के अनुसार बताए गए हैं और बताई गई अमाउंट पर इंटरेस्ट भी लागू होगा और यह उनकी संबंधित तारीखों से कॉन्ट्रैक्ट के रेट के अनुसार चार्ज किया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) सूचना तिथि	धारा 13 (2) के अनुसार बकाया राशि नोटिस
1	107286746	संपत्ति पर ऋण	30 जून 2026	1,17,65,577.61/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. रोसावा वॉरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, 2. बिंदु शर्मा, 3. घनश्याम शर्मा 4. जया शर्मा

प्रॉपर्टी का पताः रेजिडेंशियल प्लॉट नंबर 72 का वह पूरा टुकड़ा, कुल एरिया 1579.25 SQ. FT., खसरा नंबर 153 से 167 पर है, रेवेन्यू विलेजः सवीना खेड़ा, तहसीलः गिरवा, डिस्ट्रिक्टः उदयपुर, राजस्थान-313002, और इसकी सीमा इस तरह हैः पूरबः खसरा नंबर 144, पश्चिमः रोड 30'.0'' FT. चौड़ी, नॉर्थः रोड 30'.0'' FT. चौड़ी, साउथः प्लॉट नंबर 73

आपसे कहा जाता है कि आप ऊपर दी गई टेबल में दी गई जानकारी के अनुसार IDFC FIRST बैंक लिमिटेड (पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, IDFC बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर बनी और अभी IDFC FIRST बैंक लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) को उनकी तारीखों से कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज दर और दूसरे खर्च, चार्ज वगैरह के साथ इस पब्लिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर रकम का पेमेंट करें। ऐसा न करने पर, नीचे साइन करने वाले को SARFAESI एक्ट के सेक्शन 13 (4) और सेक्शन 14 के तहत, ऊपर बताई गई मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ IDFC FIRST बैंक लिमिटेड (पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, IDFC बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर बनी और अभी IDFC FIRST बैंक लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) को बकाया रकम वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू करनी होगी। इसके अलावा, आपको उस एक्ट के सेक्शन 13 (13) के तहत उस सिक्योर्ड एसेट्स को सेल/लीज़ या किसी और तरह से ट्रांसफर करने से मना किया गया है।

तारीख 19.07.2026 एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
जगहः राज